

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

—0—

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक :

एफ1-34/2015/स्था./चार.-छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्रमांक 24, सन् 2015) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेट को उनके जिले में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

kpl
18/9/15
(कमलप्रीत सिंह)
विशेष सचिव